मंडल कार्यालय आदेश 18/2024

समस्त मुख्य लोको निरीक्षक एवं मुख्य क्रू नियंत्रक, जोधपुर एवं मेड़तारोड समस्त लोकोपायलट, लोकोपायलट शंटर एवम सहायक लोकोपायलट

विषय:- लोको पायलट,लोको पायलट शंटर व सहायक लोको पायलट के लिए निर्देश

सन्दर्भ :- NWR Letter no.M/D&R/Safety/140/2 date 08/07/2024

मुख्यालय द्वारा सुरक्षित ट्रेन संचालन के लिए निम्न निर्देश जारी किये गये है सभी सम्बन्धित इसकी अनुपालना सुनिश्चित करे तथा सभी नामित को काउन्सलिंग करने के बाद अनुपालना रिपोर्ट मंडल कार्यालय में जमा करे |

- A. लर्निंग रोड लेने के दौरान LP/ALP/LPS द्वारा यार्ड ले-आउट तैयार करने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जानी चाहिए तथा इसका रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए।
- 1. सेक्शन वाइज सिम्नल और ट्रैक के महत्वपूर्ण/गंभीर स्थानों की अपवाद रिपोर्ट एलपी/एएलपी द्वारा अपनी डायरी में हाथ से तैयार की जाएगी, जिसका उपयोग ट्रेन संचालन के दौरान किया जाना चाहिए।
- 2. सभी LP/ALP/LPS सभी प्रमुख यार्डीं, अधिमानतः सभी लाइनों, सिग्नलों, प्लेटफार्मीं, गति प्रतिबंधों का फुट बाई फुट लर्निंग रोड करेंगे और एक स्केच डायग्राम भी बनाएंगे और उस पर हस्ताक्षर करने के बाद उसे सीएलआई (सीसीसी) को प्रस्तुत करेंगे।
- 3. नामित सीएलआई लर्निंग रोड विवरणों की जांच और प्रमाणीकरण करेंगे।
- 4. सीएलआई (सीसीसी) स्वयं संतुष्ट हो जाएगा कि किसी भी चालक दल को यार्ड लर्निंग के लिए डयू नहीं है।
- 5. G&SR नियमों के अनुसार एलआरडी को लगातार लिया जाना चाहिए और एलआरडी में ब्रेक की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- B. TA की व्यवस्था में बदलाव करने और चालक दल को बार-बार और अनियमित रूप से बुलाने से बचें।
- 1. स्पष्ट TA होगा और इसमें बार-बार बदलाव नहीं किया जाएगा। यदि पूर्व निर्धारित अनुसार TA में बदलाव की आवश्यकता होगी तो बदलाव का कारण दर्ज किया जाएगा और उसका विश्लेषण किया जाएगा।
- C. सीएमएस या रजिस्टर पर असामान्यताओं की शीघ्र रिपोर्टिंग
 - 1. सीएमएस और/या रजिस्टर में लाइन असामान्यताओं की रिपोर्टिंग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सभी LP/ALP/LPS को काउंसिलंग किया जाना चाहिए। झुके हुए पेड़, जलभराव, झटके आदि जैसी टिप्पणियों के बारे में संबंधित विभाग को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए।

सभी सम्बन्धित इसकी कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित करे

सलंग्र -यथोक्त

वरी.मंडल यांत्रिक इंजी.(Enhm&P) उ.प.रेलवे,जोधपुर

NORTH WESTERN RAILWAY

No. M/D&R/Safety /140/2

Headquarter Office, Jaipur. Date 08.07.2024

Sr. DME/Power AII, BKN, JP & JU.

Sub:- Instructions to LPs/ALPs.

Ref:- Railway Board WhatsApp message on dated 08.07.2024

Railway Board vide referred has instructed below:-

(A) The practice of drawing Yard lay outs by LP/ALP during Road learning to be ensured and monitored.

- 1. Section wise exception report of critical locations of signals & track shall be prepared by LP/ALPs by hand in their diary which need to be used during driving.
- 2. All Loco pilots and ALPs will take road learning of all major yards preferably foot by foot of all lines, signals, platforms, speed restrictions and also make a sketch diagram and submit it to CLI (CCC) after signing it.
- 3. Nominated CLIs will check and certify LRD particulars.
- 4. CLI (CCC) will satisfy himself that no crew is due for yard learning.
- 5. LRD should be taken continuously as per G&SR rules and break in LRD should not be allowed.

(B) Avoid Changing of Train arrangement & calling of crew frequently and randomly.

1. The Train arrangement (TA) shall be clear and shall not be changed frequently if TA shall be required to change as per predicated than reason of change shall be recorded and shall be analyzed.

(C) Prompt reporting of Abnormalities on CMS or Register.

LPs shall be to be counselled to encourage for reporting line abnormalities in the CMS and/or register. The observations such as leaning trees, water logging, jerks etc. The same shall be informed to concern department promptly

This is for the strict compliance & shall be treated as important and urgent.

Digitally Signed by मुरेन्द्र गोयल / SURENDRA GOYAL

Date: OCELE4 NWR3

Reason: Approved

C/- PCEE/NWR: for kind information Pi.